

नो. आ. सीख
हुकम

25/02/24 पत्रावली पेश। गत आदेशिका अनुसार
बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जा चुका है।
आज ही बहस हो अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही
करते हुए फ्र. पत्र रजिस्ट्रार फरमा दिया जावेगा।
वक्त आदेशिका लेखन (10.21 am) वकुलाय
अनु.।
अचि. उप.। अंतिम अवसर दिया जाकर
पत्रावली दिनांक 26/02/24 को पेश हो।

Prinica

26/02/24 पत्रावली पेश। अचि. प्रार्थी उप.।
वास्तु बहस अवसर दिया जाकर पत्रावली
दिनांक 27/02/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

Prinica

27/02/24 पत्रावली पेश। अचि. प्रार्थी उप.। वास्तु
बहस अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली
दिनांक 28/02/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

Prinica

28/02/24 पत्रावली पेश। अचि. प्रार्थी उप.। अचि.
अप्रार्थी अनु.। एकपक्षीय बहस सुनी गई।
मुताबिक बहस प्रार्थी- "ख. सं. 1103 (11 बीघा 16
बिस्वा), ख. सं. 1146 (12 बीघा 15 बिस्वा), ख. सं. 1145 (1 बिस्वा) भूमि ग्राम काकलाव प्रार्थी के
कठजा-कास्त एवं खातेदारी की भूमि है।
अप्रार्थी सं- 01 का विवादित भूमि से कोई लेना-
देना नहीं है, किंतु वह प्रार्थी को उसकी भूमि
से बँटवला करना चाहता है। अतः अप्रार्थी सं-
01 को जरूरत अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद
किया जावे कि वह प्रार्थी के कठजा-कास्त
में दखल ना करे।"

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

चूंकि प्रार्थी विवादित भूमि का
recorded खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया
मामला, सुकिया का संतुलन, अपूर्ण्य सति,

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तीनों प्राची के पत्र में साबित होते हैं। अतः
पत्र-पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते
हुए अप्राची सं. 01 को पाबंद किया जाता
है कि वह प्राची की खातेदारी भूमि में
दखल ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य
के माध्यम से करावे। आदेश सुनाया गया
पतावली फेंसल शुमार होकर दाखिल-
दफतर ही

प्रतिज्ञा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

